टिप्पणी

2

कानूनी प्रणाली का वर्गीकरण

पिछले पाठ में आपने कानून के अर्थ और अवधारणा को समझ लिया होगा। आप विधिक प्रणाली और उसके विभिन्न घटकों के अर्थ से परिचित हैं। क्या यह रोचक है? अब आपने विश्वभर में प्रयोग होने वाली विधिक प्रणालीयों के विषय में सोचना आरंभ कर दिया होगा। आरंभिक तौर पर आप सोचते होंगे कि विश्व में कितनी विधिक प्रणालियां विद्यमान हैं, किन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हालांकि प्रत्येक देश की अपनी स्वयं की विधिक प्रणाली है किन्तु समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये विशेषताएं समान इसलिए हैं क्योंकि इन सभी के स्रोत सीमित हैं जिन्हें उंगलियों में गिना जा सकता है और यही स्रोत कानूनी प्रणालियों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करती हैं। इस पाठ में आप समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर व्यापक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं को समझेंगे। ऐसे वर्गीकरण के आधार पर विश्व की कानूनी व्यवस्थाओं को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क)सामान्य कानून (ख) कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय कानूनी प्रणाली (ग) समाजवादी कानूनी प्रणाली (घ) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तथा संबंधित देशों के बीच कानूनी प्रणाली। इस पाठ में हम एक-एक करके इन विभिनन कानूनी प्रणालियों का अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप:

- सामान्य या सामूहिक कानून के अर्थ तथा विभिन्न कानूनी प्रणालियों द्वारा महसूस किए जाने वाले इसके महत्व का वर्णन कर पाएंगे;
- अनेक अन्य कानूनी प्रणालियों के विकास का प्रभावित करने में महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल कानूनी प्रणाली के महत्व को समझ पाएंगे;
- समाजवादी कानूनी प्रणाली की विशेषताओं का मूल्यांकन कर पाएंगे और अन्य कानूनी प्रणालियों के विकास में इसके प्रभाव को समझ पाएंगे;
- अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की कार्यप्रणाली तथा उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली कानूनी प्रणाली का मूल्यांकन कर पाएंगे; तथा
- समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न कानूनी प्रणालियों की पहचान कर पाएंगे।

2.1 सामान्य कानून प्रणाली

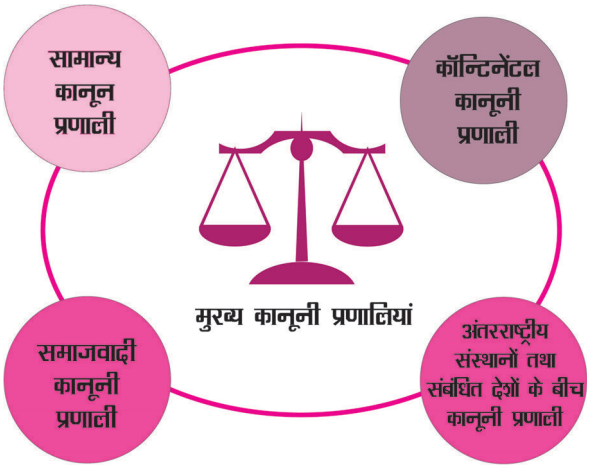

क्या आप 'सामान्य कानून' के अर्थ को जानते हैं? यह प्रश्न इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जब यह प्रश्न एक साधारण व्यक्ति से पूठा जाएगा तो उसका उत्तर यही होगा कि सामान्य कानून वह है जा सामान्य रूप से लागू होता है। किन्तु सामान्य कानून का यह अर्थ नहीं है। ''सामान्य कानून'' विश्व की विभिन्न कानून प्रणालियों के एक परिवार का नाम है जो छोटे अंतरों के साथ समान गुणों और विशेषताओं वाली कानून-प्रणाली का अनुसरण करते हैं। सामान्य कानून के परिवार के राष्ट्र-सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली समान विशेषताएं हैं:

(क) उच्चतर न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का प्राधिकार

(ख) न्यायिक संस्थानों की संरचना

(ग) न्यायालय प्रक्रियाओं की विरोधात्मक प्रणाली, और न्यायाधीश की भूमिका, तथा

(घ) सक्षम प्राधिकारणों द्वारा परित किए गए अधिनियम, संविधि, तथा अन्य विधान।

सामान्य कानून प्रणाली ने विश्व की अनेक कानूनी प्रणालियों के विकास को प्रभावित किया है, जैसे भारत, इंग्लैंड, यू.एस.ए., कनाडा तथा आस्ट्रेलिया। वास्तव में, सामान्य कानून की उत्पत्ति इंग्लैंड में मानी जाती है, इसलिए जहां कही ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की वहां सामान्य कानून लागू किया गया था। हम आगामी पैराग्राफों में इस कानूनी प्रणाली की चार समान विशेषताओं पर चर्चा करेंगे व उनको समझने का प्रयास करेंगे।

(क) उच्चतर न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का प्राधिकार : ''सामान्य कानूनी प्रणाली'' में आप देखेंगे कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय (या उच्चतर न्यायालयों) द्वारा दिए गए निर्णयों का प्राधिकार प्राप्त होता है और ये निर्णय शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। समान प्रकार के मामलों में निचली अदालतों और अधि करणों द्वारा इन निर्णयों का अनुपालन करना होता है क्योंकि कानून में उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों को प्राधिकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। यदि निचले न्यायालय उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों का अनुपालन नहीं करता है तो निचले न्यायालय के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है और इसे निरस्त भी किया जा सकता है। यह मत सोचिये कि यह विशेषता अन्य कानूनी प्रणालियों में भी विद्यमान है। अन्य कानूनी प्रणालियां उच्चतर न्यायालयों के निर्णय के प्राधिकार पर ऐसी विश्वसनियता नहीं दर्शाती है। इस प्रकार, उन कानूनी प्रणालियों में उच्चतर न्यायालयों या न्यायाधिकार के उच्चतर/अपील न्यायालय के निर्णय निचले न्यायालयों पर प्राधिकारिक या बाध्यकारी नहीं हैं, जो सामान्य कानून परिवार के सदस्य नहीं हैं।उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों के प्राधिकार को 'न्यायिक पूर्व निर्णय' (Judicial Precedent) का तकनीकी नाम दिया गया है। इस प्रकार, हम कह

सकते हैं कि उच्चतर न्यायालयों के निर्णय न्यायिक पूर्व निर्णय हैं और समान मामलों में निचले न्यायालयों को इनका अनुसरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में, मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय इस उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में आने वाले सभी निचले न्यायालयों के लिए 'न्यायिक पूर्व निर्णय' माना जाएगा और वे इन निर्णयों से बाध्य होंगे। इस प्रकार भारत कानूनी प्रणाली के सामान्य कानून परिवार का एक सदस्य है।

(ख) न्यायिक संस्थानों की संरचना : सामान्य कानून परिवार की दूसरी समान विशेषता यह है कि न्यायालयों के न्यायाधीश अत्यधिक कुशल व्यक्ति होते हैं जिन्होंने विशेष रूप से कानून के विशेष्ट क्षेत्र का अध्ययन किया होता है और कानूनी प्रशासन में एड्वोकेट या न्यायाधीश के रूप प्रायोगिक अनुभव प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति या एक वैज्ञानिक न्यायाधीश नहीं बन सकता है। बल्कि उसे कानूनी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होना चाहिए अर्थात या तो वह एड्वोकेट हो या न्यायाधीश हो या कम से कम उसके पास विधि की डिग्री हो। निर्णय कानून की यह विशेषता न्यायिक संस्थानों को व्यावसायिक व्यक्तियों के पृथक समूह के रूप में स्थापित करती है। यही एक कारण है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय तकनीकी हैं तथा कानून के प्रावधानों के अनुसार सटीक ब्यौरों पर आधारित हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होती है और इस कारण से ये निर्णय प्राधिकार स्थापित करते हैं जब ये अनुभवी न्यायाधीशों या एडवोकेटों द्वारा दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में, आप कह सकते हैं कि भारत में ट्रायल अदालतों या जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रवेश परीक्षा के आधार पर की जाती है जहां न्यूनतम पात्रता विधि में डिग्री है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चयन एडवोकेट या न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाले न्यायाधीशों में से किया जाता है। न्याय की पृष्ठभूमि से बाहर वाला व्यक्ति राज्य तथा केन्द्र सरकार का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। इसलिए सामान्य कानून विधि में न्यायाधीशों की सामान्य पृष्ठभूमि विविध नहीं होती है बल्कि अत्यंत सीमित होती है।

(ग) न्यायालय प्रक्रियाओं की विरोधात्मक प्रणाली तथा न्यायाधीश की भूमिका : सामान्य कानून प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि न्यायालय की प्रक्रियाएं प्रतिवादी प्रकृति पर आधारित होती है जहां विवादित पक्ष एडवोकेटों की सहायता लेते हैं जो न्यायालय में प्रतिवादियों के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक एडवोकेट मामले में जीत प्राप्त करने के उद्देश्य से दूसरे के विरुद्ध एड़ी-चोटी की लड़ाई लड़ता है। न्यायालयों में न्यायाधीश एक तटस्थ अवलोकक के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक पक्ष के एडवोकेटों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब न्यायालय में शोर-शराबा होता है या एडवोकेट एक दूसरे पर अवांछित टिप्पणियां करने लगते हैं तो न्यायाधीश 'ऑर्डर-आर्डर' बोलते हैं। सामान्य कानून व्यवस्था में यही न्यायाधीश की शक्ति नहीं है किन्तु न्यायाधीश प्रतिवादी एडवोकेटों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से परे जाकर सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर सकता है। वे एडवोकेटों के कौशल पर निर्भर करते हैं जो तटस्थ न्यायाधीश के समक्ष यथासंभव सर्वोत्तम स्तर पर अपने मामले को प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश के लिए इस तथ्य का कोई अर्थ नहीं होता है कि एडवोकेटों द्वारा मामले की सत्यता प्रस्तुत की गई है या नहीं। उसे केवल एडवोकेटों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से संतोष करना पड़ता है। वह विवादित पक्षों के दावों को निपटाने में सत्य को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की रूचि नहीं लेता ।

टिप्पणी

(घ) सक्षम प्राधिकरणों द्वारा पारित अधिनियम, संविधि : सामान्य कानून प्रणाली की अंतिम अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सक्षम प्राधिकरणों जैसे संसद तथा विधायिका आदि द्वारा पारित विधानों को प्राधिकारात्मक स्थान दिया जाता है जो कि न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी है, किन्तु जब कभी न्यायाधीश संसद द्वारा पारित अधिनियमों या संविधियों में किसी प्रकार का अंतर पाते हैं तो वे इन अधिनियमों में उपयुक्त रूप से संवर्धन या व्याख्या कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, सामान्य कानून प्रणाली के न्यायाधीश या एडवोकेट यह सोचते हैं कि कानून या अधिनियम अत्यंत सारांश रूप में है और इन अधिनियमों में समाविष्ट नियम अत्यंत सामान्य प्रकृति के हैं। ये सामान्य तथा सारांश नियम सभी तथ्यों और परिस्थितियों में स्वयं प्रयोग किए जाने के लिए अक्षम हैं। प्रत्येक मामले के तथ्य विशिष्ट होते हैं और इनमें सामान्य तथा सारांश रूप के नियमों को लागू करना अत्यंत कठिन है तथा इनमें उपयुक्त संवर्धन और व्याख्या की आवश्यकता होती है। यह संवर्धन तथा व्याख्या सामान्य तथा सार नियम के प्रावधानों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हत्या के मामले के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा निर्धारित दंड आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक है। तथापि, यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा या अन्य तिथियों में मृत्यु दंड दिया जाएगा। न्यायाधीशों ने इस अंतर को भरा है और कानून में अपने स्वयं का संवर्धन करके यह निर्धारित किया है कि ''असाधारण से असाधारण मामलों में'' मृत्यु दंड देना उपयुक्त होगा जबकि अन्य मामलों में केवल आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा।

? क्या आप जानते है

निर्णयज कानून की उत्पत्ति शाही शक्तियों से संबंधित है। इसे उन मामलों में एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था जहां अंग्रेजी साम्राज्य की शांति को खतरा था या जहां अन्य महत्वपूर्ण मामलों में शाही शक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता या औचित्य था।

क्रियाकलाप 2.1

अवलोकन करें कि अपने शहर में न्यायालय किस प्रकार कार्य करते हैं तथा एडवोकेट अपने मामले में किस प्रकार जिरह करते हैं। न्यायाधीशों के व्यवहार तथा उनके ड्रेस का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। उन बातों की सूची बनाएं जो आपके अनुसार सामान्य कानून के विशेषात्मक गुण हैं। क्या आपको लगता है कि भारत अपनी विधिक प्रणाली में सामान्य कानून व्यवस्था का अनुसरण कर रहा है।

पाठगत प्रश्न 2.1

1. ''सामान्य कानून'' से आप क्या समझते हैं?
2. सामान्य कानून प्रणाली की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें।

2.2 यूरोपीय/महाद्वीपीय या कान्टिनेंटल कानून प्रणाली

पश्चिम यूरोप के महाद्वीप के देशों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कानूनी प्रणाली (जिसे सामान्य रूप से इंग्लैंड के द्वीप के रूप में ''महाद्वीप'' कहा गया है) को यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानून प्रणाली कहा जाता है। सामान्य कानून की उत्पत्ति को पांचवी शताब्दी ए.डी. के प्राचीन रोमन साम्राज्य से जोड़ा जा सकता है। आपने रोम के राजा जस्टिनन (ए.डी.483-565) के संबंध में सुना होगा जिसके समय में अनेक नियमों और विनियमों को समेकित किया गया था और उन्हें सहिता कहा गया था। उस समय से आगे, कुछ समय के लिए इंग्लैंड सहित संपूर्ण यूरोप में यह कानून प्रणाली फैल गई थी। शेष विश्व में, यह कानून प्रणाली 7वीं तथा 8वीं शताब्दियों के दौरान उपनिवेशवाद के युग में लागू की गई थी। अब आप इस कानून प्रणाली को दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के भागों के कुछ देशों में देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत में फ्रांस तथा पुर्तगाल कुछ समय के लिए अपना आधिपत्य स्थापित करने आए थे और उस अवधि के दौरान वे उन स्थानों पर अपने कानून व्यवस्था को लागू करने में सफल रहे जैसे पांडिचेरी, गोवा, दमन और दियू।

आप निम्नलिखत विशेषताओं के आधार पर यूरोपीय (महाद्वीपीय या कॉन्टिंटल) कानून प्रणाली की पहचान कर सकते हैं :

(क) संसद या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा पारित अधिनियमों, संविधियों का महत्व;

(ख) न्यायपालिका की संरचना;

(ग) कानून के निर्माण में न्यायाधीशों की शक्ति; और

(घ) न्यायालय की प्रक्रियाओं में आधिकारिक दृष्टिकोण

चित्र 2.1: **न्यायालय**

(क) **सक्षम विधायिका द्वारा पारित अधिनियम, सांविधि का महत्व :** संसद या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा पारित अधिनियमों को इस कानूनी प्रणाली में उच्चतम महत्व प्राप्त है।

संसद या सक्षम विधायिका का प्राधिकार फैले हुए नियमों को सम्मिलित करना और तत्पश्चात आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार उनको तैयार करना और संसद में उन्हें पारित कराना है। उदाहरण के लिए अपराधों के क्षेत्र में सम्मिलित तथा निर्मित नियमों को ''दंड संहिता'' (penal code) कहते हैं। संसद द्वारा पारित इन नियमों को तत्पश्चात विवादों के निपटान में न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग किया जाता है। न्यायाधीश संसद द्वारा बनाए गए नियमों को सर्वोच्च मानते हुए उनका आदर करते हैं और सामान्य कानून परिवार में होने के कारण अपने स्वयं के प्राधिकार का प्रयोग करके इनमें परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते हैं। वे अधिनियम में प्रयोग की गई अस्पष्ट भाषा को स्वयं का अर्थ प्रथान कर सकते हैं किन्तु वे स्पष्ट करते हैं कि विवादित पक्षों के अतिरिक्त ये बाध्यकारी नहीं होगा। संसद द्वारा परित नियमों का व्याख्यानन न्यायाधीशों द्वारा ही नहीं किया जाता है बल्कि विधि के विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भी किया जाता है। संसद द्वारा पारित सार नियमों को न्यायाधीशों तथा एड्वोकेटों द्वारा भी अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

(ख) **न्यायपालिका की संरचना :** यूरोपीय (महाद्वीपीय) या कॉन्टिनेंटल कानून प्रणाली में न्यायपालिका विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा बनती है क्योंकि इस कानूनी प्रणाली में न्यायाधीश किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता है। इस प्रकार, एक इंजीनियर, या डॉक्टर या वैज्ञानिक न्यायाधीश बन सकता है। अपेक्षित वर्षों के लिए एक पृथक विषय के रूप में विधि का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है और तत्पश्चात न्यायालय में कार्य कर सकते हैं। इसप्रकार उच्चतर न्यायालयों या ट्रायल अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्त विविध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के रूप में की जाती है और इसके लिए विधि शिक्षा में डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय (महाद्वीपीय) या कॉन्टिलेंटल कानून प्रणाली का अनुसरणकरने वाले देशों में कानून की शिक्षा भी प्रदान की जाती है किन्तु न्यायाधीश बनने के लिए यह एकमात्र आवश्यक अपेक्षा नहीं है। भारत में भी आपने देखा होगा कि न्यायालय द्वारा तकनीकी क्षेत्र के व्यक्तियों को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि उन मामलों में निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके जहां कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(ग) **कानून बनाने में न्यायाधीशों की शक्ति :** यूरोपीय (महाद्वीपीय) या कॉन्टिनेंटल कानून प्रणाली में न्यायाधीश कानून नहीं बनाते हैं और उनके निर्णय न्यायालय के समक्ष उपस्थित उस विवाद के अतिरिक्त प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। वे विधायिका द्वारा निर्मित कानून का ही प्रयोग करते हैं और वे स्वयं कानून का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में उच्चतर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय विधिक पूर्व निर्णय नहीं माने जाते हैं जैसा कि सामान्य कानून प्रणाली में होता है। उनके निर्णयों को अन्य मामलों में न्यायाधीशों द्वारा सम्मान प्रदान किया जाता है किन्तु वे उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस में उच्चतम न्यायालय यथा ''कोर्ट दे कसेसेशन (Court de cassation)'' द्वारा दिया गया निर्णय फ्रांस के अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तथापि, न्यायिक निकायों में उस न्यायालय के निर्णय को उच्च आदर प्रदान किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विधायिका द्वारा पारित कानूनों का खंडन नहीं कर सकते हैं, वे केवल विधायिका द्वारा पारित नियमों को लागू कर सकते हैं। इस प्रणाली का एक लाभ यह है कि वकीलों द्वारा न्यायालयों के बहुत सारे निर्णयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे कि सामान्य कानून प्रणाली में किया जाता है और एड्वोकेट को न

केवल संसद तथा विधायिका द्वारा पारित कानूनों का ज्ञान होना चाहिए बल्कि उच्चतर न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों का भी ज्ञान होना चाहिए।

(घ) **न्यायालय प्रक्रिया की अन्वेषणशील विचारधारा :** सत्य का पता लगाने में न्यायालयों की निष्क्रीय भूमिका और मामले के तथ्यों का पता लगाने में एड्वोकेटों के क्षमता पर आश्रित रहने के विपरीत, महाद्वीपीय कानून प्रणाली में न्यायाधीश सत्य का पता लगाने में सक्रीय भूमिका अदा करते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली विचारधारा विरोधात्मक नहीं होती है बल्कि अन्वेषणाशील (अन्वेषण शब्द का अर्थ है जांच करना) होती है। यहां न्यायाधीश वादी ओर प्रतिवादी के बीच मात्र रेफरी की भूमिका अदा नहीं करते हैं बल्कि वे सभी विवादित पक्षों के साथ समन्वय करके सक्रीय रूप से मामले की जांच करते हैं और साक्ष्यों को एकत्र करके सत्य का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार साक्ष्यों को एकत्र करने का उत्तरदायित्य केवल एड्वोकेट पर ही नहीं होता बल्कि न्यायाधीश पर भी होता है। न्यायाधीश स्वयं अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य की खोज कर सकता है यदि उसे लगे की विवादित पक्षों के एड्वोकेटों ने सत्य का पता लगाने में कुछ साक्ष्यों को छोड़ दिया है। यहा न्यायाधीश निष्क्रीय अवलोकन नहीं होते हैं बल्कि सत्य का पता लगाने में अपनी सक्रीय भूमिका अदा करते हैं। भारत में आप इस परिदृश्य का प्रयोग सरकार द्वारा स्थापित तथ्यों का पता लगाने वाले आयोगों की कार्यप्रणाली में देख सकते हैं। आपने वर्ष 2002 मे गोधरा दंगों के संबंध में वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा गठित श्शनानावटी जांच आयोग'' का नाम सुना होगा।

? क्या आप जानते है

महाद्वीपीय कानून प्रणाली की उत्पत्ति यूरोप में हुई और इसका निर्माण बारहवीं शताब्दी के यूरोपीय विश्वविद्यालयों (विशेष रूप से जर्मनी में) के विद्वानों के प्रयासों और रोम साम्राज्य के राजा जस्टीनियम के समेकनों के आधार पर किया गया था। इस लिए इस कानूनी प्रणाली को श्शरोमेनो-जर्मैनिक कानूनी प्रणाली'' भी कहते हैं।इस कानूनी प्रणाली में, कानून की उत्पत्ति प्रमुख रूप से ऐतिहासिक कारणों से व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों के बीच के निजी संबंधों को विनियमित करने के माधयम के रूप में अनिवाय 'निजी कानून के रूप में की गई थी।

क्रियाकलाप 2.2

अपने परिवार के सदस्यों से पता करें कि क्या उन्होंने कभी 1984 के सिख दंगों और इससे संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित जांच समितियों के बारे में सुना है। इस प्रकार की जांच समितियों के विषय में यथा संभव अधिक सूचना एकत्र करने का प्रयास करें।

पाठगत प्रश्न 2.1 &2.2

1. सामान्य कानून प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
2. यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानून प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें।

टिप्पणी

3. क्या आपको लगता है कि भारतीय कानून प्रणाली 'सामान्य कानून प्रणाली' और 'महाद्वीपीय कानून प्रणाली' का संयोजन या मिश्रण है या यह महाद्वीपीय कानून प्रणाली के कुछ गुणों के साथ मुख्य रूप में 'सामान्य कानून प्रणाली' से प्रभावित है ?
4. सामान्य कानून की उत्पत्त शाही शक्ति से संबंधित है। (हां/नहीं)
5. सामान्य कानून प्रणाली में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को प्राधिकार तथा सुदृढ़ स्थिति प्राप्त है। (हां/नहीं)
6. भारत कानूनी प्रणाली के सामान्य कानून परिवार का सदस्य है। (हां/नहीं)
7. सामान्य कानून की उत्पत्ति को 5वीं सदी ए.डी. के प्राचीन रोमन साम्राज्य के साथ जोड़ा जा सकता है। (हां/नहीं)

2.3 सामाजवादी कानून प्रणाली

विश्व की अनेक अन्य कानूनी प्रणालियों के विकास को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण कानून प्रणाली का नाम "सामाजवादी कानून प्रणाली" है। इस कानून प्रणाली को उन देशों द्वारा स्वीकार किया गया था जिन्होंने सामाजवादी तथा मार्क्सवादी दर्शन (विचारधारा) का अनुसरण आरंभ किया था विशेष रूप से 1914–19 के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। आपको इस तथ्य का ज्ञात होगा कि व्यावहारिक रूप से सामाजवादी दर्शन को पूर्ववर्ती यूएसएसआर तथा चीन द्वारा अपनाया गया था। जब 80 के दशक के अंतिम वर्षों में यूएसएसआर का विखंडन हुआ, उससे अलग हुए सभी देशों ने कुछ संशोधनों के साथ इस कानूनी प्रणाली को अपनाया, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान तथा उजबेकिस्तान। चीन के अतिरिक्त मंगोलिया, उत्तर कोरिया तथा क्यूबा जैसे अन्य देश इस कानूनी प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह कानूनी प्रणाली सामान्य तथा यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानूनी प्रणाली से काफी भिन्न हैं। यद्यपि आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि सामाजवादी कानूनी प्रणाली महाद्वीपीय तथा तथा सामान्य कानून प्रणालियों से प्रभावित है। तथापि, इस कानूनी प्रणाली की कतिपय विशेषताएं हैं जो इसे अन्य कानूनी प्रणालियों से भिन्न हैं। ये विशेषताएं हैं :

(क) कानूनी नियमों को स्थायी नहीं माना जाता है;

(ख) लोक कानून का महत्व;

(ग) प्रशासन तथा विधायिका द्वारा पारित कानून का कोई न्यायिक समीक्षा नहीं है; और

(घ) महाद्वीपीय कानूनी प्रणाली का व्यापक प्रभाव।

हम इन विशेषताओं की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में करेंगें।

(क) **कानूनी नियमों को स्थायी नहीं माना जाता :** इस नियम के पक्षधरों के अनुसार, यहां कानून एक अस्थायी विशेषता है और एक ऐसा समय आएगा जब शासन करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय जब सभी लोग आर्थिक रूप से समान हो जाएंगे तब वहां कानून की आवश्यकता नहीं होगी। आर्थिक समानता के संवर्धन के लिए न्यायालयों और कानून की आवश्यकता होती है। सामाजवादी कानून प्रणाली में विधि क्रांतिकारी प्रकृति की होती है। महाद्वीपीय कानून प्रणाली जहां कानून स्थायी प्रकृति का

है, के विपरीत सामाजवादी कानून प्रणाली ऐसे नियम को फैंक देता है जो निजी परिसंपत्ति तथा संपत्ति को संवर्धित करता है। उदाहरण के लिए जब पूर्ववर्ती यूएसएसआर ने सामाजवादी कानून प्रणाली को अपनाया, तो निजी तथा वाणिज्यिक अधिकारों के संवर्धन करने वाले नियमों को समाप्त कर दिया गया था। उन नियमों को 'बौरजियॉयसिस' नियम कहा गया था। सामाजवादी नियम क्रांतिकारी इस अर्थ में है कि वे पुराने नियमों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं जो निजी अधिकारों तथा मुक्त बाजारों के आधार पर पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। इसका उद्देश्य उन शक्ति संबंधों को समाप्त करना है जो पूंजीवादी प्रणाली का निर्माण करते हैं।

(ख) **लोक कानून का महत्व :** सामाजवादी कानूनी प्रणाली में निजी कानून के लिए कोई स्थान नहीं है और सभी कानूनों को लोक कानून की प्रकृति में होना होता है जिसका अर्थ है कि सभी कानून राज्य संबंधी मुद्दों या लोक मुद्दों से संबंधित होंगे जैसे संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून तथा आपराधिक कानून। संवैधानिक कानून से हमारा तात्पर्य उस नियम से है जो राज्य की प्रकृति और सरकार की संरचना का निर्धारण करता है। प्रशासनिक कानून प्रशासन के अंगों की संरचना, शक्तियों और क्रियाओं तथा उनकी शक्तियों की सीमाओं आदि से संबंधित है। निजी कानून, जो नागरिकों के एक दूसरे के साथ संबंधों को विनियमित और शासित करता है, वह या तो निरस्त कर दिया गया है या उसे लोक कानून से कम महत्व दिया जाता है। निजी कानून के उदाहरण हैं- क्षतियों का कानून, संविदा, संपत्ति, तथा ज्ञानात्मक सम्पत्ति अधिकारों संबंधी कानून से है। समाजवादी कानून प्रणाली में, निजी कानून की अनेक शाखाओं को शिफ्रट करके लोक कानून का भाग बना दिया गया है। इस प्रकार, संविदा का कानू, जिसे व्यक्तियों की संविदागत स्वतंत्रता का विनियामक कानून माना जाता था,उसे अब व्यापक स्तर पर नियंत्रित कर दिया गया है और इस कानूनी प्रणाली में संविदा की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(ग) **प्रशासनिक कार्रवाई और विधायिका द्वारा पारित कानून की न्यायनिक समीक्षा नहीं होती :** समाजवादी कानून सिद्धांत इस बात पर बल देते हैं कि विधायिका को लोगों की इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में कल्पित किया गया है और यह न्यायिक नियंत्रण की पहुंच से परे है। यहां विधायिका को न कि न्यायिक निर्णयों को कानून के एकमात्र स्रोत के रूप में पहचाना गया है। वे ''शक्तियों के पृथकिकरण'' के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसके अनुसार विधायिका, कार्यपालक और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे से पृथक हैं। यह माना गया है कि विधायिका निकाय राज्य की क्रियाओं की संवैधानिकता के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है और संवैधानिक समीक्षाओं का संसद-इतर निकायों जैसे न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। समाजवादी देशों द्वारा अपने संविधान को को परम कानूनी शक्ति माना गया है। 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति को मध्यवर्ग के हथियार के रूप में माना गया है।

(घ) **यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानूनी प्रणाली का प्रभाव :** समाजवादी कानूनी प्रणाली व्यापक स्तर पर महाद्वीपीय प्रणाली से प्रभावित हुई है। कानूनी प्रणाली के समाजवादी परिवार के सदस्य वे देश है जो पूर्व में महाद्वीपीय कानूनी प्रणाली के सदस्य थे और

प्राइवेट कानून के महत्व को छोड़ कर महाद्वपीय कानूनी प्रणाली की विशेषताएं अभी भी इसमें संरक्षित हैं। न्यायाधीशों को प्राधिकारात्मक रूप से कानून की व्याख्या करने तथा इसे संशोधित करने की की शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक पूर्व-निर्णय नहीं बनाए जा सकते हैं और उन्हें केवल प्रस्तुत कानून को लागू करने और सामाजिक और आर्थिक न्याया को संवर्धित करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय की प्रक्रिया विरोधात्मक नहीं होती है बल्कि यह अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करती है तथा सरकारी वकील को न्याय प्रदाता के रूप में देखा जाता है न कि अपराधियों को सजा देने वाला। यहां कानूनी क्षेत्र भी सुनिश्चित रूप से आपराधिक, दीवानी, तथा बौद्धिक संपत्ति वर्गों में विभाजित नहीं होते हैं। एक कानूनी प्रणाली एक एकीकृत प्रणाली है जहां वकील बिना किस अतिरिक्त प्रवेश अपेक्षाओं के कानून के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं (जैसे आपराधिक कानून से दीवान कानून में या रक्षा अधिवक्ता से प्रोसिक्यूटर)।

पाठगत प्रश्न 2.3

1. समाजवादी कानूनी प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
2. आपके विचार से क्या भारत को 'सामाजवादी कानूनी प्रणाली' को अपनाना चाहिए। भारत के लिए इस प्रणाली के गुणों और दोषों का अवलोकन करें।
3. लोक कानून तथा प्राइवेट कानून पर पांच-पांच पंक्तियां लिखें।
4. समाजवादी कानूनी प्रणाली में निजी कानून के लिए कोई स्थान नहीं है और सभी कानूनों को लोक कानून की प्रकृति में होना चाहिए। (सही/गलत)
5. समाजवादी कानूनी प्रणाली में विधान को न कि न्यायिक निर्णय को कानून का एकमात्र स्रोत माना जाता है। (सही/गलत)
6. समाजवादी कानूनी प्रणाली व्यापक स्तर पर महाद्वीपीय प्रणाली से प्रभावित है। (सही/गलत)

2.4 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तथा देशों के परस्पर व्यवहार सम्बन्धी अंतराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली

समाचारपत्र खोलिये, रेडियो सुनिए, टीवी देखिये या इंटरनेट पर सम्पर्क कीजिए और आप हर जगह अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से रुबरु होंगे। मानव अधिकारों के हनन का आरोप, सशस्त्र मुठभेड़ में नागरिकों की हत्या, पर्यावरण में परिवर्तन का प्रभाव, और राष्ट्रों के बीच विवाद आदि ऐसी घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं। इन घटनाओं और वैश्वीकरण के इसे युग में देशों की आपसी अंत: आश्रितता ने आपको विभिन्न प्रकार की कानूनी प्रणाली के विषय में सोचने को मजबूर कर दिया है। इस प्रकार के मुद्दों और चुनौतियों से निपटने वाली कानूनी प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली कहते हैं। इस कानूनी प्रणाली में कानूनी सिद्धांतों का सृजन राष्ट्रों, तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के बीच वार्ताओं को संवर्धित करने के दृष्टिगत किया जाता है। आप कह

सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के बिना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संभव नहीं है और यदि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा नहीं रहेगी तो विश्वभर में किसी प्रकार का विकास नहीं होगा। इसी कारण से, विशेष रूप से बीसवी शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली का जन्म हुए जो कि एक नई अवधारणा है। आपकी सुविधा के लिए इस कानूनी प्रणाली को चार विशिष्ट उदाहरणों के रूप में समझा जा सकता है। (क) संधियों की भूमिका (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ (ग) यूरोपीय संघ (घ) सार्क

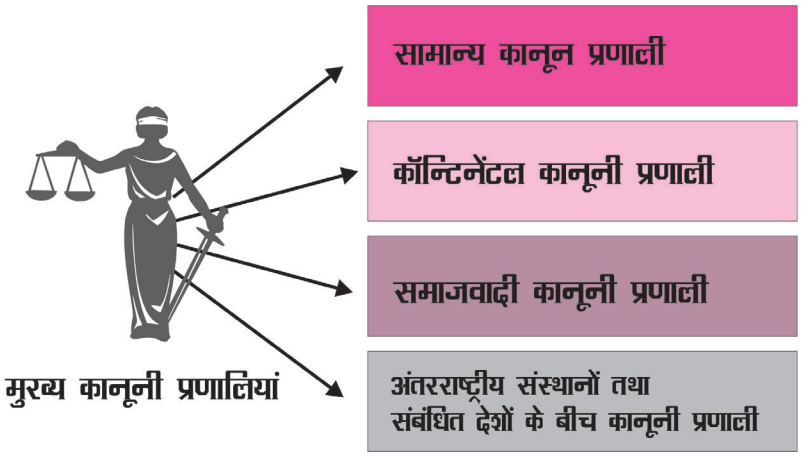

(क) **संधियों की भूमिका :** संधियां देशों और अंतरराष्ट्रय संगठनों के बीच एक प्रकार का करार हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा विनियमित होते हैं। विश्व में लगभग दो सौ देश हैं और सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धित संपत्ति संगठन आदि। आप सोचते होंगे कि ये देश तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन एक दूसरे के साथ संव्यवहार किस प्रकार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपसी सहमति या करार इस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र तरीका है? इस प्रकार के समझौतों को विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे संधि, अभिसमय, संविदा, नयाचार, चार्टर और साधारण रूप से इसे करार कहते हैं। आपको ऐसी अनेक संधियों के नाम पता होंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं : वर्सेलीज संधि, क्योटा प्रोटोकॉल, पैक्ट ऑफ पैरिस, संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर, तथा नागरिव एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेनैंट। ये संधियां राष्ट्रों को अपने प्रावधानों के अनुसार उनके उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करने के लिए बाध्य करती हैं। यदि वे इन उत्तरदायित्वों का निर्वाहन नहीं करते हैं तो इसे संधि का उल्लंघन माना जाता है और उल्लंघनकर्ता राष्ट्र को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होता है। इस कानूनी प्रणाली में एक मौलिक सिद्धांत है जो कहता है कि: "संधियों का अनुपालन सदभाव के साथ किया जाना चाहिए।" यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में संधियों के निरंतर अनुपालन में मार्गदर्शी कारक रहा है।

(ख) **संयुक्त राष्ट्र संघ :** संयुक्त राष्ट्र संघ सम्पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली का केन्द्र बिन्दु है क्योंकि इसके अनेक प्रधान अंग, विशिष्ट एजेंसियां, समितियां तथा आयोग हैं। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के आधार पर 1945 को हुई थी। आपने जनरल एसेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक परिषद् के विषय में सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आयोग अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग, ने अनेक संधियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण

भूमिका अदा की है जिन्हें बाद में देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने स्वयं अपनाया है। यहां सुरक्षा परिषद् की भूमिका के महत्व का उल्लेख करना भी आवश्यक है। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधान अंग है और निसंदेह यह सर्वाधिक सक्तिशाली अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र का कार्यकारी अंग है और इसे अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

ग) **यूरोपीय संघ (ई.यू) :** यूरोपीय संघ एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसने आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से अधिकतर यूरोपीय देशों को एकजुट कर दिया है। यह क्षेत्रीय संघ (यूनियन) 1993 की मैस्ट्रिचसंधि तथा 2009 की लिस्बन संधि के आधार पर स्थापित हुआ है। यूरोपीय संघ ने इस संघ के सदस्य देशों क लिए एक साझा बाजार विकसित किया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उक विशिष्ट क्षेत्र स्थापित किया है जिसे ''सिंगन क्षेत्र'' कहते हैं और इस सम्पूर्ण क्षेत्र में कहीं भी प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है जिसमें 22 यूरोपीय संघ के देश तथा 4 गैर यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। यह संघ अन्य संगठनों से इस लिए भी विशिष्ट है कि लिस्बन संधि यूरोपीय संघ को संधियां करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसकी प्रधानता राष्ट्रीय विधानों से ऊपर होगी। यूरोपीय संघ के कानून में प्रधान सिद्धांतों में शामिल हैं मौलिक अधिकारों के चार्टर में गारंटिड मौलिक अधिकार और यूरोपीय संघ के देशों के समान संवैधानिक परम्पराओं के परिणामस्वरूप है। ये संधियां यूरोपीय संघ के प्रधान विधान हैं जिन्हें गौण विधानों (विनियम, निर्देश तथा निर्णय) से सहायता प्राप्त होती है।

(घ) **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) :** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया के देशों अर्थात भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तथा मालदीव द्वारा की गई थी। 2007 में अफगानिस्तान भी इस संगठन का सदस्य बना। 'सार्क' के तत्वाधान में अनेक करार तथा

समझौतों को सम्पन्न किया गया है जैसे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र पर करार (एसएएफटीए), दोहरे कर-परिहार पर करार, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की ट्रैफिकिंग के विरोध एवं निवारण पर समझौता, आतंकवाद के दमन पर क्षेत्रीय समझौता। इसने वीजा रियायत योजना भी आरंभ की है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को सार्क के किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस क्षेत्रीय संगठन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून प्रणाली द्वारा मान्यताप्राप्त संधियों के आधार पर कार्य करती है।

क्रियाकलाप 2.4

अपने शहर या राज्य राजधानी में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्यालयों का पता करें। उस संधियों के नामों की सूची तैयार करें, जिनके आधार पर से संगठन कार्य करते हैं। उन संगठनों के चित्र एकत्र करें और उन्हें अपनी फाइल या कॉपी में चिपकाएं।

पाठगत प्रश्न 2.4

1. अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें।
2. सधियों से आप क्या समझते हैं? क्या आपके विचार से अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के विकास में संधियां महत्वपूर्ण कारक हैं?
3. यूरोपीय संघ और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की संरचना और कार्यप्रणाली की तुलना करें। इन दोनों क्षेत्रीय संगठनों के गुणों और दोषों का मूल्यांकन करें।
4. **रिक्त स्थान भरें :**

   (i) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ..... में हुई थी। (1945, 1948)

   (ii) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना ..... में हुई थी। (8 दिसंबर 1985/ 8 दिसंबर 1945/8 दिसंबर 2007)

   (iii) यूरोपीय संघ में ..... यूरोपीय देश शामिल हैं। (22/26/28)

आपने क्या सीखा

पूरे विश्व में, कानूनी प्रणाली की चार श्रेणियां हैं। ये हैं :

(क) सामान्य कानूनय

(ख) यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानून प्रणालीय

(ग) समाजवादी कानून प्रणालीय और

(घ) अंतरराष्ट्रीय संगठनों और देशों के बीच परस्पर कानूनी प्रणाली

टिप्पणी

सामान्य कानून प्रणाली के देशों वे हैं जिनमें चार प्रमुख घटक विद्यमान होते हैं। ये हैं :

(क) उच्चतर न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय का प्राधिकार बाध्यकारी है।

(ख) न्यायिक संस्थानों की संरचना सीमित क्षेत्र से होती है।

(ग) न्यायिक प्रक्रिया की विरोधात्मक प्रणाली और न्यायाधीशों की निष्पक्ष भूमिका।

(घ) इस शर्त के साथ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित अधिनियमों और नियमों का महत्व कि जब कभी न्यायाधीश अधिनियमों या नियमों में किसी प्रकार का अंतर पाएंगे, तो वे उसमें उपयुक्त संवर्धन या परिवर्तन कर सकते हैं।

यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानूनी प्रणाली के अनुयायी चार प्रमुख विशेषताओं का अनुसरण करते हैं :

(क) सक्षम विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों, नियमों का बाध्यकारी प्राधिकार तथा न्यायाधीश इन अधिनियमों को सर्वोच्च मानते हैं और अपने स्वयं के प्राधिकार को अधिरोपित करके इन्हें परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करते हैं।

(ख) विविध क्षेत्रों से न्यायिक संस्थानों की संरचना।

(ग) उच्चतर न्यायालयों और अधिकरणों से भी दिए गए निर्णयों का कोई बाध्यकारी प्राधिकार नहीं है।

(घ) न्यायालय प्रक्रियाओं का अन्वेषणीय दृष्टिकोण।

समाजवादी कानून प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें निजी कानून को कम महत्व दिया जाता है जबकि लोक कानून को सर्वोच्च माना जाता है। न्यायपालिका सामान्यत् प्रशासनिक क्रियाओं तथा विधायिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा नहीं करती है।

अंतराष्ट्रीय कानून प्रणाली के बिना अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। इस प्रणाली का जन्म बीसवीं शताब्दी में प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात हुआ। इस कानून को संधियों की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ एवं सार्क के विशिष्ट उदाहरणों के रूप में समझा जा सकता है।

पाठांत प्रश्न

1. निर्णयज कानून परिवार या कानून प्रणाली से आपका क्या अर्थ है? वर्णन कीजिए।
2. ''यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानून प्रणाली'' के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए।
3. क्या न्यायपालिका स्वयं द्वारा निर्मित प्रशासनिक अधिनियमों और नियमों की समीक्षा कर सकते हैं? कारण बताएं।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया विद्यमान है? संक्षेप में उल्लेख करें।
5. नीचे कॉलम क में दी गई कानूनी प्रणालियों को कॉलम ख में दिए गए देशों में इनके संबंधित अनुप्रयोगों का मिलान करें :

क	ख
(क) समाजवादी कानून प्रणाली	यूरोपीय संघ
(ख) निर्णयज कानून प्रणाली	स्पेन
(ग) यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानून प्रणाली	पाकिस्तान
(घ) अंतराराष्ट्रीय संगठनों के बीच कानून प्रणाली	रूस

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

2.1

1. 'सामान्य कानून' विश्व की विभिन्न कानून प्रणालियों के एक परिवार का नाम है जो छोटे अन्तरों के साथ समान गुणों और विशेषताओं वाली कानून प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

2. 'सामान्य कानन' की तीन मुख्य विशेषताएं निम्न है:

   (i) उच्चतर न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का प्राधिकार;

   (ii) न्यायिक संस्थानों की संरचना; एवं

   (iii) सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए अधिनियम सविवि तथा अन्य विधानों का महत्व।

2.2

1. सामान्य कानून प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-

   (क) उच्चतर अदालतों द्वारा दिये गये फैसले निर्णायक तथा बाध्यकारी होते हैं, जो कि तकनीकी रूप में 'न्यायिक उदाहरण' जान जाता है।

   (ख) अदालतों के न्यायाधीश काफी प्रवीण होते हैं जिन्हें कानून में का विशेष ज्ञान होता है तथा न्याय के प्रशासन में विशेष अनुभव हासिल होता है;

   (ग) अदालत की कार्यवाही विरोधात्मक स्वरूप पर आधारित होती है तथा न्यायधीश निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं; तथा

   (घ) संसद द्वारा पारित कानून को भी 'न्यायिक उदाहरण' का दर्जा प्राप्त है।

2. महाद्वीपय कानून प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-

   (क) उच्चतर अदालतों द्वारा दिये गये फैसले निर्णाक तथा बाध्यकारी नहीं होते तथा 'न्यायिक उदाहरण' का दर्जा प्राप्त नहीं होता;

   (ख) यह आवश्यक नहीं है कि अदालतों के न्यायधीश कानूनी पृष्ठभूमि से है। बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे विवाचक, इंजीनियर, डॉक्टर, लेखाकार भी हो सकते हैं;

   (ग) अदालत की कार्यावाही विरोधाभाषी नहीं बल्कि 'जिज्ञासू' प्रकृति के होते हैं तथा न्यायधीश काफी 'सक्रिय भूमिका' निभाते हैं; तथा

   (घ) संसद द्वारा पारित कानून को उच्चतम दर्जा प्राप्त है।

टिप्पणी

3. मुझे लगता है कि भारत की न्यायिक प्रणाली मुख्यत: सामान्य कानून प्रणाली पर आधारिक है, तथा महाद्वीपीय कानून प्रणाली की कुछ विशेषताओं के साथ हैं जो निम्नलिखित हैं–

   (क) उच्चतर न्यायालयों तथा पूरी न्यायिक प्रणाली में इसके फैसलों का उच्च दर्जा प्राप्त है।

   (ख) अदालत की कार्यवाही विरोधवाची प्रकृति की होती है; तथा

   (ग) न्यायधीश काफी कुशल होते हैं।

   यद्यपि इसमें महाद्वीपीय कानून प्रणाली कीकुछ विशेषताएं भी शामिल हैं जैसे

   (क) न्यायधिकरणों का होना जिसमें विभिन्न क्षेत्रों तथा औपचारिक अदालतों के न्यायधीश भी शामिल होते हैं तथा

   (ख) अदालत की कार्यवाही विरोधावाची नहीं होती है।

4. सही
5. सही
6. सही
7. सही

2.3

1. समाजवादी कानून प्रणाली से तात्पर्य उस कानूनी प्रणाली से हे जिसमें कुछ मौलिक विशेषताएं शामिल हैं जैसे (क) कानून को क्रांतिकारी गुणों के रूप में देखा जाता है, स्थिर प्रकृति में नहीं। (ख) लोक कानून को कानून की किसी भी अन्य शाखा से अधिक महत्व दिया जाता है। (ग) प्रशासन की क्रियाओं और विधायिका द्वारा पारित कानूनों की सामान्यत : समीक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार की कानूनी प्रणाली के उदाहरण हैं : रूस, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया।

2. मेरे विचार से भारत को समाजवादी कानून प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि भारत पिछले दो सौ वर्षों से निर्णयज कानून प्रणाली का अनुसरण कर रहा है और अब किसी अन्य कानूनी प्रणाली को अपनाना महंगा तथा अव्यवस्थित करना होगा। अन्य कानून प्रणाली को अपनाने की आवशयकता नहीं है बल्कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। तथापि, भारत में समाजवादी कानून प्रणाली के लाभ इस प्रकार होंगे : (क) न्यायपालिका संसदधराज्य विधायिकाओं द्वारा पारित नियमों की समीक्षा करने में समय व्यर्थ नहीं करेगी। (ख) निजी विवादों को निपटाने में निचली अदालतों में लगने वाला अधिकतर समय बचेगा। समाजवादी कानून प्रणाली के कुछ दोष भी हैं : (क) निजी संपत्ति जो प्रत्येक व्यक्ति की सम्पन्नता का प्रतीक है, को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, (ख) कार्यपालक की स्वैच्छित क्रियाओं में वृद्धि होगी।

3. लोक कानून से तात्पर्य कानून की उस शाखा से है जो राज्य के मुद्दों या लोक मुद्दों को निपटाता है जैसे संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, तथा आपराधिक कानून। लोक कानून की प्रकृति प्राइवेट कानूनी से भिन्न है। प्राइवेट कानून नागरिकों के एक

दूसरे के साथ संबंधों को विनियमित तथा शासित करता है। उदाहरण के लिए प्राईवेट कानून के अंतर्गत हैं : क्षतियों का कानून, संविदा, संपत्ति आदि। समाजवादी कानून प्रणाली लोक कानून से संबंधित है प्राईवेट कानून से नहीं।

4. सही

5. सही

6. सही

2.4

1. अंतरराष्ट्रीय कानून प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं :

   (क) अधिनियमों/ नियमों के स्थान पर संधियां महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। संधियां उन देशों पर बाध्यकारी होती है जो इसके पक्ष होते हैं।

   (ख) संधियों को बनाने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णयों को लागू कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

   (ग) यूरोपीय क्षेत्र में संधियों को बनाने और यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णयों को लागू करने में यूरोपीय संघ की भूमिका; और

   (घ) सामान्य कानून और यूरोपीय (महाद्वीपीय) कानून प्रणाली का मिश्रण।

2. संधियां देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच या मध्य ''करार'' हैं जो अंतरराष्ट्रीय नियमों से नियंत्रित होते हैं ना कि देश के घरेलू नियमों से जहां उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हां, मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के विकास में ये संधियां महत्वपूर्ण कारक हैं क्योंकि ये संधियां सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होती हैं और देशों का व्यवहार इनके द्वारा नियंत्रित होता है। संधियों के उदाहरण हैं : (क) वर्सिलीज संधि (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर (ग) क्योटो प्रोटोकॉल।

3. यूरोपीय संघ और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की संरचना और कार्यप्रणाली की तुलना निम्नानुसार की जा सकती है :

क	ख
(क) ये पश्चिमी यूरोप में तथा पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में लागू है।	(क) यह दक्षिण एशिया में लागू है।
(ख) यूरोपीय संघ द्वारा निष्पादित संधियां राष्ट्रीय कानून से ऊपर होती हैं।	(ख) क्षेत्रीय सहयोग, 1983 पर घोषणा के आधार पर कार्य करता है।
(ग) प्रधान विधानों को संधि कहते हैं और गौण विधानों को विनियम, निर्देश तथा घोषणाएं कहा जाता है।	(ग) ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है।

टिप्पणी

इन क्षेत्रीय संगठनों के गुण :

(क) कानून के अनुप्रयोग का अधिक व्यापक क्षेत्र।

(ख) क्षेत्र को अन्य कानूनी प्रणालियों के प्रभाव से संरक्षित रखता है।

इन क्षेत्रीय संगठनों के दोष :

(क) क्षेत्रीय संगठनों की बहुलता।

(ख) अंतरराष्ट्रीय कानून प्रणाली की कोई एकरूपता नहीं।

रिक्त स्थान भरें :

1. 1945
2. 8 दिसंबर, 1985
3. 22.